कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर, वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक– 522 / 33–1/ दिनांक, हमीरपुर, सितम्बर 05, 2022,

सेवा में,

अधिशाषी अभियंता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0,
कानपुर।

विषयः– विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर–राठ–गरौठा–गुरसराय–झांसी राज्य राजमार्ग–42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौठा (झांसी जनपद) (मिसिंग लिंक–किमी 74.550 से किमी 110.360) के विकास/रोड निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/117342/2020.

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या–804/5सी–डब्लू0बी0पी0सी0के0/2022 दिनांक 29.08.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का ऑनलाइन तथा हार्ड कापी का परीक्षण करने पर निम्नलिखित कमियॉ पायी गयीः–

1. ऑनलाइन पार्ट–1 की हार्डकापी त्रुटिपूर्ण संलग्न है, सही प्रिन्ट संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों के समस्त पेज पर हस्ताक्षर नही है, हस्ताक्षर कर मोहर लगाये।
3. प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि का जी0आई0एस0 मैप हार्ड कापी में संलग्न नही है और न ही ऑन लाइन अपलोड किया गया है, संलग्नकर अपलोड करें।
4. वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्रमाण पत्र की अस्पष्ट प्रति संलग्न है। स्पष्ट प्रति संलग्न करें।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल का अवलोकन करने पर वनसीमा के अन्दर प्रदर्शित होना पाया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्णतः निर्विवादित गैर वनभूमि उपलब्ध करायें।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वनभूमि को राजस्व मानचित्र पर दर्शाते हुये सम्बन्धित लेखपाल से प्रमाणित कराकर मानचित्र प्रस्तुत करें।
7. ऑन लाइन अपलोड किये जाने वाले टोपोशीट एवं जी0आई0एस0 मैप पर अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरान्त अपलोड करायें एवं पार्ट–2 में अपलोड करने हेतु पेन ड्राइव में उपलब्ध करायें।

अतः किसी कार्य दिवस में अपने प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव की प्रतियॉ प्राप्त कर लें तथा उपरोक्त आपत्तियों/कमियों का निराकरण करते हुये तत्काल पूर्ण संशोधित प्रस्ताव समस्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–ःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।